सत्यमेव जयते

सी. नं.19(12)/कर मुक्ति/ हरिद्वार /2006–07/तक./ 98 दिनांक 24-8-07

भारत सरकार

(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त

13–ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में, दिव्य योग मन्दिर ट्रस्ट
कृपालु बाग के पास
कनखल हरिद्वार

विषय : आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण।

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त संस्था को आयकर आयुक्त देहरादून/मेरठ ने अपने दिनांक 28-07-2004 के आदेश संख्या सी.स. 19(25)कर मुक्ति/हरिद्वार/04-05/05/2874 द्वारा दिनांक 01-04-2004 से दिनांक 31-03-2006 तक की अवधि के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत कर मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया था। अब उक्त प्रमाण–पत्र द्वारा धारा 80जी के अन्तर्गत प्रदान की गई कर मुक्ति को दिनांक 01-04-2006 से दिनांक 31-03-2010 (31-3-2010) के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर नवीकृत किया जाता है।

1. आदेश संख्या सी.स. उपरोक्त दिनांक 28-07-2004 में वर्णित सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।
2. संस्था/न्यास के उद्देश्य, नियमों व संविधान में होने वाले किसी भी संशोन या परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन/संशोधन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दी जाए।
3. आय–व्यय के लेखे की प्रति सम्बन्धित आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त के समक्ष प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाये।

आयुक्त आयकर देहरादून

(वाय.एस. रावत)
आयकर आयुक्त
देहरादून

1. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त/वार्ड/सर्किल ITO(E) TR हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त रेन्ज हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ।

Five year time-limit will not be applicable to approval accorded by Commissioner- Approval of the Commissioner under section 80G(5)(vi) has effect for such assessment year or years, not exceeding five assessment years, as may be specified in the approval.

Due to this limitation imposed on the validity of such approvals, the approved institutions or funds have to bear the hardship of getting their approvals renewed from time-to-time. This is unduly burdensome for the bona fide institutions or funds and also leads to wastage of time and resources of the tax administration in renewing such approvals in a routine manner. The time-limit of 5 years has been omitted with effect form October 1, 2009. After this amendment, the approval once granted shall continue to be valid in perpetuity. Further, the Commissioner will also have the power to withdraw the approval if the Commissioner is satisfied that the activities of such an institution or fund are not genuine or are not being carried out in accordance with the objectives of the institution or fund. This amendment will take effect from October 1, 2009. Accordingly, existing approvals expiring on or after October 1, 2009 shall be deemed to have been extended in perpetuity, unless specifically withdrawn. However, in case of approvals expiring before October 1, 2009, these will have to be renewed and once renewed these shall continue to be valid in perpetuity, unless specifically withdrawn.